प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 21/2025 (अपील सूचना का अधिकार)

Narendra Singhvi Add. 66-K, Singhvi house, first floor, indise saheliyon ki bari, Bali, Udaipur

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 25-02-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329557373439841 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 6314761018 दिनांक 03.02.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/21/25/137–38 दिनांक 31.01.2025 से लिखा गया।

उभयपक्ष उपस्थित। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक स.लो.सू.अ./2025/307 दिनांक 10.02.2025 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.12.2024 को ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर तहसील कार्यालय गिर्वा को लिखे गये पत्र क्रमांक 2946 दिनांक 14.07.2009 एवं पत्र क्रमांक 3825 दिनांक 20.07.2009 एवं सम्पूर्ण नोटशीट की सत्यापित प्रति चाही गई है। उक्त आवेदन में चाही गई सूचना के संबंध में दिनांक 02.01.2025 से उपखण्ड कार्यालय गिर्वा में रिकार्ड अवलोकन हेतु प्रार्थी को आरटीआई पोर्टल पर सूचित किया गया, प्रार्थी द्वारा रिकार्ड अवलोकन उपरान्त चिन्हित करने पर सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी। अतः निवेदन है कि जवाब स्वीकार फरमाया जाकर अपील निरस्त कराने का श्रम करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना का अवलोकन करने हेतु दिनांक 02.01.2025 को निश्चित समयावधि में लिखा जाना प्रत्यर्थी के पत्रांक 307 दिनांक 10.02.2025 से स्पष्ट है एवं प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय को प्रस्तुत प्रत्युत्तर से प्रथम दृष्टया यह न्यायालय संतुष्ट है।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को चाहिए कि वह वांछित सूचना के संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के कार्यालय में आदेश प्राप्ति के 7 दिवस में कार्यदिवस में उपस्थित होकर वांछित सूचना का अवलोकन कर वांछित सूचना प्राप्त करें।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25-02-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर